निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

08 चैत्र 1944 (श0)

(सं0 पटना 134) पटना, मंगलवार, 29 मार्च 2022

बिहार विधान सभा सचिवालय

————

अधिसूचना

28 मार्च 2022

सं० वि०स०वि०–08/2022–**1396**/वि०स०––''बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2022'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक–28 मार्च, 2022 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधन सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
शैलेन्द्र सिंह,
सचिव।

[वि०स०वि०–07/2022]

बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2022

बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम–1981, (बिहार अधिनियम 37, 1982) की धारा–49 का संशोधन करने हेतु विधेयक।

प्रस्तावना:– भारत के संविधान के (एक सौ एक वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा 1 जुलाई, 2017 से पूरे देश में माल एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया है उक्त संशोधन के माध्यम् से भारत के संविधान की सातवी अनुसूची के सूची 2–राज्य सूची की प्रविष्टि 52 को विलोपित कर दिया गया है, अर्थात इस प्रविष्टि के अधीन अधिरोपित सभी कर समाप्त हो गये है।

उक्त के आलोक में बिहार राज्य में गन्ना की आपूर्ति और खरीद पर कर लगाने से संबंधित अधिनियम यथा–बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981, (बिहार अधिनियम 37, 1982) यथा संशोधित की धारा 49 को विलोपित करना आवश्यक है।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ** :–(1)यह अधिनियम बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3)यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।
2. **बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा–49 का संशोधन।**– (क) बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981, (बिहार अधिनियम 37, 1982) की धारा–49 को दिनांक–01.07.2017 से विलोपित किया जायेगा।
   (ख) उक्त धारा 49 के विलोपन का प्रभाव निम्नलिखित पर नहीं होगा :–
   (i) इस तरह के किसी अधिकार, दावा, दायित्व या दायित्व के संबंध में इस विलोपन से पहले या बाद में कोई कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू किया गया है या लिया गया है;
   (ii) विलोपित किये गये धारा के तहत अर्जित, अर्जित या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व; या
   (iii) विलोपित किये गये धारा–49 के प्रावधानों के तहत् किसी भी कर का आरोपण, निर्धारण या वसूली या किसी दंड का अधिरोपण या वसूली तथा उक्त धारा के तहत पूर्वोक्त मामलों के संबंध में सभी कार्यवाही का निपटान या जारी रखा जाएगा एवं जो भी मामला हो, विहित प्राधिकार द्वारा निपटाया जाएगा, जैसे कि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया है।
   (ग) अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, उन उप–धारा में विशेष मामलों का उल्लेख चूक/विलोपन के प्रभाव के संबंध में साधारण खण्ड अधिनियम,1897 की धारा 6 के सामान्य आवेदन को पूर्वाग्रह या प्रभावित करने के लिए हीं माना जाएगा।

उद्देश्य एवं हेतु

भारत के संविधान के (एक सौ एक वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा 1 जुलाई, 2017 से पूरे देश में माल एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया है उक्त संशोधन के माध्यम् से भारत के संविधान की सातवी अनुसूची के सूची 2–राज्य सूची की प्रविष्टि 52 को विलोपित कर दिया गया है, अर्थात इस प्रविष्टि के अधीन अधिरोपित सभी कर समाप्त हो गये है।

उक्त के आलोक में बिहार राज्य में गन्ना की आपूर्ति और खरीद पर कर लगाने से संबंधित अधिनियम यथा–बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981, (बिहार अधिनियम 37, 1982) यथासंशोधित की धारा 49 को विलोपित किये जाने का प्रस्ताव है। यही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है एवं इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।

(प्रमोद कुमार)
भार–साधक सदस्य।

शैलेन्द्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा।

पटना
दिनांक–28.03.2022

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 134-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in